



Neutral Citation No. 2026:AHC:14983

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 208 / 2026

जय गोपाल राजपूत

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

देव कुमार केशवानी राकेश सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश सिंह और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह उ० प्र० ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के तहत पुनरीक्षण संख्या 80/2002 कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल2002034099261 (पन्ना लाल बनाम छेदा लाल) का निर्णय एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे यह मुकदमा आज भी उनके समक्ष लंबित है।

ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह उ० प्र० ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के तहत पुनरीक्षण संख्या 80/2002 कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल2002034099261 (पन्ना लाल बनाम छेदा लाल) में दिनांक 19.07.2007 के पक्षकार बनाए जाने के आवेदन का निर्णय करे यह आवेदन आज भी उनके समक्ष लंबित है।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि निजी प्रत्यर्थी गण द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका जो उ० प्र० ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत मुकदमे की कार्यवाही से जुड़ी है प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने बताया कि लंबित पुनरीक्षण याचिका में बिक्री विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया गया पक्षकार बनाने का आवेदन भी 19.7.2007 से राजस्व परिषद के समक्ष विचार के लिए लंबित है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि लंबित

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्षकार बनाने के आवेदन के साथ साथ पुनरीक्षण की कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 से प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से 19.7.2007 को दायर किया गया पक्षकार बनाने का आवेदन भी विचार के लिए लंबित है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज दिनांक 19.7.2007 के पक्षकार बनाए जाने के आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर—निर्णय ले। यह भी निर्देश दिया जाता है कि राजस्व परिषद उपर्युक्त पुनरीक्षण पर कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथाशीघ्र अधिमानतः पक्षकार बनाए जाने के आवेदन पर आदेश पारित किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर—निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

21 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"